भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3127

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

सीजीटीएमएसई के अंतर्गत ऋण सहायता

3127. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) से लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत इन श्रेणियों के उद्यमियों को कुल कितनी ऋण राशि संस्वीकृत की गई है; और

(ग) क्या सरकार के पास लाभार्थियों के लिए योजनाओं और उनके लाभकारी प्रतिफल की व्यवहार्यता पर तुलनात्मक वित्तीय सलाह प्राप्त करने के लिए कोई एकीकृत पोर्टल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) विगत 3 वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक- I** में है।

(ख) वर्ष 2000 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) की शुरुआत से वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 31.07.2025 तक) के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए अनुमोदित गारंटी के रूप में संस्वीकृत ऋण की कुल धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		दिव्यांगजन	
स्वीकृत गारंटियों की संख्या	स्वीकृत गारंटियों की धनराशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत गारंटियों की संख्या	स्वीकृत गारंटियों की धनराशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत गारंटियों की संख्या	स्वीकृत गारंटियों की धनराशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत गारंटियों की संख्या	स्वीकृत गारंटियों की धनराशि (करोड़ रुपये में)
5,95,165	19,490	2,03,615	9,046	21,18,011	99,982	21,206	1,983

(ग) एमएसएमई मंत्रालय की वेबसाइट msme.gov.in पर मंत्रालय की सभी विभिन्न स्कीमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई डैशबोर्ड dashboard.msme.gov.in पर एमएसएमई मंत्रालय की सभी प्रमुख स्कीमों के तुलनात्मक कार्य-निष्पादन की जानकारी भी उपलब्ध है।

*****

अनुलग्नक-I

अनुलग्नक I: दिनांक 07.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3127 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एससी	एसटी	ओबीसी	दिव्यांगजन
1	अंडमान निकोबार	0	2	105	0
2	आंध्र प्रदेश	3123	551	4489	46
3	अरुणाचल प्रदेश	3	471	1	0
4	असम	383	933	1317	10
5	बिहार	1952	239	10100	55
6	चंडीगढ़	4	0	2	0
7	छत्तीसगढ़	863	739	2991	29
8	दिल्ली	16	0	42	0
9	गोवा	4	6	29	1
10	गुजरात*	756	324	1485	17
11	हरियाणा	824	4	1123	15
12	हिमाचल प्रदेश	1045	391	204	6
13	जम्मू कश्मीर	1795	746	482	45
14	झारखंड	395	607	2382	24
15	कर्नाटक	2892	971	6802	63
16	केरल	908	87	5143	40
17	लद्दाख	0	340	0	0
18	लक्षद्वीप	0	2	0	0
19	मध्य प्रदेश	1950	1110	6460	71
20	महाराष्ट्र**	1279	372	2894	64
21	मणिपुर	23	575	25	0
22	मेघालय	10	1593	4	0
23	मिजोरम	3	1293	1	0
24	नागालैंड	6	2237	1	0
25	ओडिशा	962	492	2067	85
26	पुदुचेरी	19	1	65	2
27	पंजाब	1177	1	562	23
28	राजस्थान	354	475	2368	11
29	सिक्किम	28	231	132	0
30	तमिलनाडु	2891	160	10483	195
31	तेलंगाना	1154	1223	3291	38
32	त्रिपुरा	277	435	368	126
33	उत्तर प्रदेश	4248	88	14981	13
34	उत्तराखंड	662	105	646	15
35	पश्चिम बंगाल	851	49	628	0
योग		30857	16853	81673	994

** जिसमें दमन और दीव शामिल हैं* *** जिसमें दादरा और नगर हवेली भी शामिल है*